उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0),प्रथम तल, नियर आई0एस0बी0टी0,
माजरा, देहरादून फोन–0135–2641119 फैक्स–2641314

राज्य में प्रस्तावित विद्युत दरों पर जन सुनवाई

राज्य में वर्ष 2011–12 के लिए उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 (**UPCL**), उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 (**PTCUL**) एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 (**UJVNL**) द्वारा क्रमशः विद्युत वितरण, पारेषण एवं उत्पादन की प्रस्तावित विद्युत दरों के निर्धारण किये जाने हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष पीटिशन प्रस्तुत की गयी हैं। प्रस्तावित विद्युत दरें दैनिक समाचार पत्रों में 12, 13 एवं 14 दिसम्बर 2010 में प्रकाशित की जा चुकी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में विद्युत उपभोक्ताओं, सम्बन्धित संस्थाओं, व्यक्तियों के मत की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग नीचे दिये गये कार्यक्रम के अनुसार जन सुनवाई करेगा।

दिनांक	समय	जन सुनवाई का स्थान
28.02.2011	**11:30 बजे प्रातः**	**हल्द्वानी : सभागार, नैनीताल डिस्टिक को–आपरेटिव बैंक लि0, नैनीताल रोड़, हल्द्वानी**
01.03.2011	**12:30 बजे अपराह्न**	**अल्मोड़ा : सभागार, नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा।**
07.03.2011	**11:30 बजे प्रातः**	**श्रीनगर : नगर पालिका सभागार, श्रीनगर, गढ़वाल।**
11.03.2011	**11:00 बजे प्रातः**	**देहरादून : सभागार, इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0), नियर आई0एस0बी0टी0, माजरा, देहरादून।**

यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था इस सम्बन्ध में अपने मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे कृपया सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने मत को आयोग के समक्ष लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते है। प्रस्तावित विद्युत दरों का विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट **www.uerc.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

सचिव

Advt. No. 19/10-11